



नई दिल्ली | दिल्ली उच्च न्यायालय ने उधार नहीं लौटाने के मामले में अदालत को गुमराह करने पर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के 10 दिनों के लिए आज जेल भेज दिया।

अदालत ने यादव की पत्नी राधा यादव को भी अदालत के उठने तक हरिसत में रखने का आदेश दिया। राधा अपने नवजात शिशु के साथ अदालत में आई थीं।

न्यायमूर्ति एस मुरालीधर ने यादव और उनकी पत्नी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था क्योंकि दोनों पूर्व में अदालत में पेश नहीं हुए थे। यादव और राधा अपने छोटे बच्चे के साथ अदालत में पेश हुए।

भाषा

